न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा (राज0) (2)

मि0नं0 125 / 2022 — तारीख दायरा 02.09.2022 — तारीख फैसला 17.1.23

पीठासीन अधिकारी–हरबिन्दर डी0 सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

1. सावित्री पुत्री बद्रीलाल पत्नी बृजमोहन नागर जाति धाकड निवासी हांपाहडी अन्ता हाल सरदार कॉलोनी अन्ता जिला बांरा राज0
2. प्रभातबाई पुत्री बद्रीलाल पत्नी श्री रेवतीप्रकाश नागर जाति धाकड निवासी बजरंगगढ सीताबाडी हाल निवासी राधे कॉलोनी मांगरोल बाय पास रोड बांरा राज0

(वादीयागण)

बनाम

1-- बद्रीलाल पुत्र रामकल्याण जाति धाकड निवासी बाक्या तहसील दीगोद जिला कोटा (राज0)
2-- ललिता पुत्री बद्रीलाल पत्नी प्रेमचन्द नागर जाति धाकड निवासी प्रेमनगर कोटा (राज0)
3-- राममूर्ति बाई पुत्री बद्रीलाल पत्नी रमेश चन्द जाति धाकड निवासी भट्टीपुरा(गढेपान)तहसील दीगोद जिला कोटा राज0
4-- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वादीगण की ओर से -- श्री सुरेन्द्र दाधीच एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से -- श्री दशरथ दाधीच एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89,188 आर.टी.एक्ट

निर्णय

वादीयागण निम्न आधारो पर यह वाद पत्र पेश करती है कि:--

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम बाक्या तहसील दीगोद जिला कोटा राज0 में खाता नया 73 पुराना 72 खसरा नम्बर 18 रकबा 0.40 हे0, खसरा नम्बर 325 रकबा 2.68 हे0, खसरा नम्बर 430 रकबा 0.04 हे0, खसरा नम्बर 54 पश्चिम रकबा 4.80 हे0, खसरा नम्बर 96 दक्षिण रकबा 1.24 हे0 कुल किता 5 रकबा 9.16 हेक्टर भूमि में प्रतिवादी क्रम 1 का 52 / 305 हिस्सा निहित है।

उक्त आराजी को इस वाद पत्र में आगे विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है। पक्षकारों का संजरा निम्न प्रकार है:--

बद्रीलाल

सवित्री (पुत्री)	प्रभातवाई (पुत्री)	ललिता (पुत्री)	राममूर्तिबाई (पुत्री)

यह कि उक्त वर्णित आराजियात में से प्रतिवादी क्रम 1 के खाते हिस्सा 52 / 305 भूमि दर्ज है। जिसका प्रतिवादी क्रम 1 संयुक्त खातेदारी में दर्ज चली आ रही है उक्त भूमि

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

रतैनी भूमि है जो प्रतिवादी क्रम 1 को अपने पिता से विरासत में प्राप्त हुई है जिसमें वादियागण एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 का जन्मतः हक अधिकार निहित है। वादीयागण का प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्से 52/305 में 1/5 --1/5 हिस्सा बनता है। वादियागण एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है।

यह कि उक्त आराजीयात प्रतिवादी क्रम 1 के संयुक्त खातेदारी मे दर्ज होने के कारण प्रतिवादी क्रम 1 आये दिन रहन, बेचान व खुर्द बुर्द करने की धमकी देता है तथा अपने हिस्से की भूमि को अन्तरण करना चाहता है इसलिए वादियागण को प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्से 52/305 में 1/5 –1/5 भूमि का बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादियागण के पक्ष में निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे:–

1– कि ग्राम बांक्या तहसील दीगोद जिला कोटा राज0 में खाता नया 73 पुराना 72 खसरा नम्बर 18 रकबा 0.40 हे0, खसरा नम्बर 325 रकबा 2.68 हे0, खसरा नम्बर 430 रकबा 0.04 हे0, खसरा नम्बर 54 पश्चिम रकबा 4.80 हे0, खसरा नम्बर 96 दक्षिण रकबा 1.24 हे0 कुल किता 5 रकबा 9.16 हेक्टर भूमि में प्रतिवादी क्रम 1 का 52/305 हिस्सा मे से वादियागण को 2/5 हिस्से की भूमि की बतौर सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

2– कि वादियागण खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावे कि उक्त वर्णित भूमि मे प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्से 52/305 में से हिस्सा 2/5 भूमि मे वादियागण के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करे, रहन, बेचान या खुर्द बुर्द नही करें।

3– कि अन्य न्यायोचित सहायता वादियागण को प्रतिवादीगण से दिलवाई जावे।

वादीयागण की ओर से निम्न दस्तावेज संलग्न किये गयेः–

1– नकल जमाबन्दी खाता संख्या 73 ग्राम बांक्या सम्वत 2073–2076

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी विधिवत करवायी गई।

प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 की ओर से इकबालिया जवाब दावा प्रस्तत किया गया जो शामिल फाईल किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब में वाद पत्र की समस्त चरणों को स्वीकार किया गया। वादीयागण एवं प्रतिवादीगण में आपसी सहमति से राजीनामा होने पर यह राजीनामा लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आपसी सहमति से पेश किया गयाः–

कि वाके माल ग्राम बांक्या तहसील दीगोद जिला कोटा राज0 में खाता नया 73 पुराना 72 खसरा नम्बर 18 रकबा 0.40 हे0, खसरा नम्बर 325 रकबा 2.68 हे0, खसरा नम्बर 430 रकबा 0.04 हे0, खसरा नम्बर 54 पश्चिम रकबा 4.80 हे0, खसरा नम्बर 96 दक्षिण रकबा 1.24 हे0 कुल किता 5 रकबा 9.16 हेक्टर भूमि में प्रतिवादी क्रम 1 का 52/305 हिस्सा निहित है।

कि उक्त वर्णित आराजियात में से प्रतिवादी क्रम 1 के खाते हिस्सा 52/305 भूमि दर्ज है। जिसका प्रतिवादी क्रम 1 को अपने पिता से विरासत में प्राप्त हुई है जिसमें वादीयागण एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 का जन्मतः हक अधिकार निहित है। वादीयागण का प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्से 52/305 में से 1/5 –1/5 हिस्सा वादियागण के हिस्से मे राजस्व रिकार्ड में अलग अलग खाते भूमि दर्ज किये जाने में प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 सहमत है। विवादित आराजी में कल्याण का वास्तविक नाम रामकल्याण है किन्तु

...स्व रिकार्ड में कल्याण दर्ज है जो कि कल्याण के स्थान पर रामकल्याण नाम दर्ज ...या जावे।

कि वाके माल ग्राम बाक्या तहसील दीगोद जिला कोटा राज0 में खाता नया 73 पुराना 72 खसरा नम्बर 18 रकबा 0.40 हे0, खसरा नम्बर 325 रकबा 2.68 हे0, खसरा नम्बर 430 रकबा 0.04 हे0, खसरा नम्बर 54 पश्चिम रकबा 4.80 हे0, खसरा नम्बर 96 दक्षिण रकबा 1.24 हे0 कुल किता 5 रकबा 9.16 हेक्टर भूमि में प्रतिवादी क्रम 1 का 52/305 हिस्से में से वादियागण को 2/5 हिस्से यानि 1/5 – 1/5 भूमि के बतौर सहखातेदार काश्तकार घोषित किये जाने में पक्षकारों को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रस्तुत राजीनामा में वादीगण की पहिचान वादी अधिवक्ता द्वारा की गई एवं प्रतिवादीगण की पहिचान प्रतिवादी अधिवक्ता के द्वारा की गई है। प्रकरण में वादी अधिवक्ता एवं प्रतिवादी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों एवं राजस्व रिकार्ड का गहन अध्ययन एवं मनन किया गया। उभय पक्षकारान के मध्य सहमति होने पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण की ओर से राजीनामा प्रस्तुत किया गया। उभय पक्षकारान के मध्य हुये राजीनामा एवं राजस्व रिकार्ड के अवलोकन करने पर प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

अतः उभय पक्षकारान में आपसी सहमति से प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादीयागण का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है कि ग्राम बांक्या तहसील दीगोद जिला कोटा राज0 में खाता नया 73 पुराना 72 खसरा नम्बर 18 रकबा 0.40 हे0, खसरा नम्बर 325 रकबा 2.68 हे0, खसरा नम्बर 430 रकबा 0.04 हे0, खसरा नम्बर 54 पश्चिम रकबा 4.80 हे0, खसरा नम्बर 96 दक्षिण रकबा 1.24 हे0 कुल किता 5 रकबा 9.16 हेक्टर भूमि में प्रतिवादी क्रम 1 का 52/305 हिस्सा मे से वादियागण व प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 को 1/5 –1/5 भूमि के बतौर सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं राजस्व रिकार्ड में वादी बद्रीलाल की वल्दियत कल्याण के स्थान पर रामकल्याण दर्ज किया जावे। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.1.23 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद जिला कोटा (राज.)

5

[illegible] मे अन्तिम डिक्री
(आ0 20 नि0 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा (राज0)

पीठासीन अधिकारी–हरबिन्दर डी0 सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

1– सावित्री पुत्री बद्रीलाल पत्नी बृजमोहन नागर जाति धाकड निवासी हांपाहेडी अन्ता हाल सरदार कॉलोनी अन्ता जिला बांरा राज0

2– प्रभातबाई पुत्री बद्रीलाल पत्नी श्री रेवतीप्रकाश नागर जाति धाकड निवासी बजरंगगढ सीताबाडी हाल निवासी राधे कॉलोनी मांगरोल बाय पास रोड बांरा राज0

(वादीयागण)

बनाम

1– बद्रीलाल पुत्र रामकल्याण जाति धाकड निवासी बांक्या तहसील दीगोद जिला कोटा (राज0)

2– ललिता पुत्री बद्रीलाल पत्नी प्रेमचन्द नागर जाति धाकड निवासी प्रेमनगर कोटा (राज0)

3– राममूर्ति बाई पुत्री बद्रीलाल पत्नी रमेश चन्द जाति धाकड निवासी भट्टीपुरा(गढेपान)तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

4– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वादीगण की ओर से – श्री सुरेन्द्र दाधीच एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से – श्री दशरथ दाधीच एडवोकेट

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89,188 आर.टी.एक्ट</u>
<u>मिसल नं 125/2022</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी वादिनी व मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि उभय पक्षकारान में आपसी सहमति से प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादीयागण का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है कि ग्राम बांक्या तहसील दीगोद जिला कोटा राज0 में खाता नया 73 पुराना 72 खसरा नम्बर 18 रकबा 0. 40 हे0, खसरा नम्बर 325 रकबा 2.68 हे0, खसरा नम्बर 430 रकबा 0.04 हे0, खसरा नम्बर 54 पश्चिम रकबा 4.80 हे0, खसरा नम्बर 96 दक्षिण रकबा 1.24 हे0 कुल किता 5 रकबा 9.16 हेक्टर भूमि में प्रतिवादी क्रम 1 का 52/305 हिस्सा मे से वादियागण व

(6)

ादी क्रम 1 ता 3 को 1/5 1/5 भूमि के बतौर सहखातेदार काश्तकार घोषित या जाता है एवं राजस्व रिकार्ड में वादी बद्रीलाल की वल्दियत कल्याण के स्थान पर मकल्याण दर्ज किया जावे। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। ादनुसार डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तखत व मोहर से आज दिनांक 17.1.23 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपयै	पैसे	मुदालयह	रूप्ये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद जिला कोटा (राज.)